आवश्यक

संख्या:15/2021/807/12-2-2021-एफ.58/2008

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2021

विषय: प्रदेश के समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टाक एवं बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 37/2020/1925/12-2-2020-एफ.58/2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 03/2021/125/12-2-2021-एफ.58/ 2008 दिनांक 12 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रियल टाइम एक्नॉलाजेमेंट एवं शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री किए जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेशों द्वारा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री को सत्यापित करने हेतु सतत अनुश्रवण एवं प्रवर्तन आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया का विचलन कर बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी आवश्यक है।

3. अत: प्रदेश के समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर पी0ओ0एस0 मशीन में अंकित उर्वरकों के सम्भार और बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों का भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार का मिलान कराते हुए उर्वरक बिक्री केन्द्रों का शतप्रतिशत स्थलीय सत्यापन का कार्य कृषि, सहकारिता एवं अन्य विभागों के जनपद में कार्यरत अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए दिनांक 15 मार्च, 2021 से दिनांक 25 मार्च, 2021 के मध्य कराया जाए। यदि किसी बिक्री केन्द्र पर पी0ओ0एस0 मशीन में उपलब्ध सम्भार तथा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक सम्भार में भिन्नता या किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो तद्नुसार सक्षम प्राधिकारी के स्तर से संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध जांचोपरान्त उर्वरक नियंत्रक आदेश, 1985 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. इस सम्बन्ध में पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भाग की सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रारूप-ए तथा जनपद में पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराये जाने संबंधित निर्धारित प्रारूप-बी की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 15/2021/807(1)/12-2-2021-एफ.58/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-ए

पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ता का नाम:

जनपद का नाम:

पदनाम:

विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	उर्वरक बिक्री केन्द्र का नाम एवं पता	पी0ओ0एस0 में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)					बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी0टन में)				
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एसएसपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एसएसपी	एमओपी

हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-बी

जनपद में पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

सत्यापनकर्ता का नाम:

जनपद का नाम:

पदनाम:

विभाग का नाम:

क्र0 सं0	जनपद में कुल उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में पी0ओ0एस0 में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी0टन में)					जनपद में बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी0टन में)				
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एसएसपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एसएसपी	एमओपी

हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।